भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024/20 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर क्षमता विस्तार

†1355. **श्री. मारगनी भरत :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत देश में अधिसूचित सभी प्रमुख पत्तनों के आधुनिकीकरण और उनकी क्षमता के विस्तार की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टणम पत्तन पर घाटों (बर्थ) का आधुनिकीकरण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): जी, हां। 2015 से 62 सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं प्रचालनरत की गई हैं। जिसमें विशाखापट्टणम पत्तन सहित महापत्तनों में बर्थों और टर्मिनलों का यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है। परिणामस्वरूप महापत्तनों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता वर्ष 2013-14 से दोगुनी हो गई है।

*****